

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल-cfoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांक न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2021

दिनांक नवम्बर 05, 2021

रवाभी/प्रबन्धक

मै0 महर्षि विद्या मन्दिर,

जाजरदेवल, पिथौरागढ़।


विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।


आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं0-90844588 दिनांक 26-10-2021 के अनुसार मै0 महर्षि विद्या मन्दिर, जाजरदेवल, पिथौरागढ़, की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र पिथौरागढ़ द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र पिथौरागढ़ की ऑनलाईन संस्तुति के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में 90 दिवस के भीतर प्रत्येक तल/निर्धारित दूरी पर हॉजरील्स, 10 हजार लीटर क्षमता का टैरेस टैंक, 450 लीटर प्रतिमिन्ट क्षमता का टैरेस वाटर पम्प का प्राविधान कर इस कार्यालय को अदगत कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार मै0 महर्षि विद्या मन्दिर, जाजरदेवल, पिथौरागढ़, द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किए जाने की रिश्ती में ही यह अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05 नवम्बर 2021 से 04 नवम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 रवाभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैंटबैक तथा शीदियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के रवाभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 रवाभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, बैटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैंट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 4.5किग्रा क्षमता अन्य लैब में 01 अदद एबीसी क्षमता 05 किग्रा व 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जग्नेटर के पास 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूअर क्षमता 05 किग्रा तथा 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उधम सिंह नगर


SHYAMASREE BISWAS
Principal
MAHARISHI VIDYAMANDIR
JAJARDEWAL, PITHORAGARH (U.K)